21/7/25 पत्रावली पेश हुई। वकील आम पक्ष उप०। पत्रावली वास्ते पक्षकार टी०आई० नियत 23/7/25 को पेश हो। ए०डी० कोर्ट अतिरिक्त पर है। रा०

23/7/25 पत्रावली पेश हुई। वकील आम पक्ष उप०। वकील प्रार्थी के अभिभाषी की बहस पेश की गई। आदिम पत्रावली की गई। मूल वाद में प्रस्तुत आवेदन पत्र 7 नियम 11 परिसीमा का वाद बाधित (बाधित किया जाना चाहिए) ऐसी स्थिति में यदि आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 का Act प्रार्थी को आदेश लाभप्रद का कोई औचित्य नहीं है। अतः आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 का Act प्रार्थी (बाधित किया जाता है) पत्रावली को एक बार होकर वाद कार्यवाही आगामी अग्रसर हो। निर्णय अग्रिम तिथि 23/7/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाता।

सहायक कलक्टर (मु०) सीकर